न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 27/2015

1. श्री धनराज पुत्र स्व0 श्री देबी माली
2. श्रीमती बरजी पत्नि स्व0 श्री देबी माली
3. श्री भोमराज पुत्र स्व0 श्री देबी माली
4. श्रवणी पुत्री स्व0 श्री देबी माली
5. संतोष पुत्री स्व0 श्री देबी माली
6. नौरती स्व0 श्री देबी माली
7. रामलाल उर्फ रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री देबी माली
   निवासीगण ग्राम बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर ।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री छगना पुत्र श्री हीरालाल जाट
2. श्री नारायण जाट पुत्र श्री सुखदेव जाट
3. श्री मोहन पाण्ड्या पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण ब्राम्हण निवासी बाडी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर ।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

:– आदेश :– दिनांक 26.8.2016

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम बाडी पटवार हल्का बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित अराजी खाता न0 नया 161 पुराना 112 खसरा नं. 61 रकबा 02 बीघा किस्म बा0 3, खसरा नं 62 रकबा 08–12–10 किस्म बा0 3, खसरा नं. 64 रकबा रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा किस्म बा0 03 कुल किता तीन कुल रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा 10 बिस्वांसी । जिसकी सीमा को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 एवं प्रार्थी के मध्य विवाद होता रहता है।अतः प्रार्थीगण प्रश्नगत अराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्थरगढी करने के अप्रार्थी सं0 4 पर आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थीगण अपने अभिभाषक महोदय के साथ उपस्थित आये। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बडा आसन की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता सं0 161 में प्रश्नगत अराजी खसरा सं0 61, 62, 64 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार बिजयनगर पर आदेश पारित किये जाते हैं कि वे प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदायगी पर प्रश्नगत अराजी का मौके पर सीमांकन कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार बिजयनगर को प्रकरण में रु. 3000/– पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम बडा आसन स्थित अराजी खसरा न0 61, 62, 64 की पत्थरगढी करावें।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2016 को ''न्याय आपके द्वार'' कार्यक्रम मुकाम बरल द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 12:18:40 IST
Reason: SelfAttested